प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 09.07.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109, 191(2),191(3),115(2),352,351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त नाम पता अजय यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी मुडली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर को आज दिनांक 09.07.2025 को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को विपक्षी अपरोक्त द्वारा वादिनी के पुत्र को गला दबाकर हत्या करने के प्रयास व मारपीट के संबंध में थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 09.07.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त नाम पता- अजय यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी मुडली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री सतीश कुमार सिंह, हे0का0 मोतीलाल, हे0का0 अजय कुमार सिंह, का0 दीपक गौतम।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 157 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 157 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** द्वारा मु0अ0सं0 595/ 2025 धारा 2(b)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सुजीत विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद विश्वकर्मा निवासी पेवनपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर को चिउटना नहर पुलिया के पास से नियमानुसार आज दिनाँक 09.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सुजीत विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद विश्वकर्मा निवासी पेवनपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर **।**

आपराधिक इतिहासः-

***अभियुक्त सुजीत विश्वकर्मा* -**

1. मु0अ0सं0 615/2024 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 760/2024 धारा 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह, व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 दीपक सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 257/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रविप्रकाश पुत्र राजाराम निवासी सब्जी थाना कोतवाली बछरावां जनपद रायबरेली को करेली चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 02.07.2025 को थाना बखिरा पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 09.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 प्रवेश यादव, म0का0 पारूल सिंह।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनाँक 09.07.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता मो0 जावेद पुत्र फैज मोहम्मद निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर जनपदीय सीमा के अन्तर्गत ग्राम मोतीनगर खलीलाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 603/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियत्रंण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 09.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राज कुमार पटेल, का0 रंजन राजभर, म0आ0 कुमारी सुनीता।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** द्वारा मु0अ0सं0 82/2025 धारा 2(b)(17), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज पुत्र दशरथ निवासी बलही थाना महुली जनपद संत कबीर नगर को प्रजापतिपुर-मुखलिसपुर पुल के पास से नियमानुसार आज दिनाँक 09.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नीरज पुत्र दशरथ निवासी बलही थाना महुली जनपद संत कबीर नगर।

आपराधिक इतिहासः-

***अभियुक्त नीरज* -**

1. मु0अ0सं0 032/2016 धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 348/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र, का0 सत्यम सिंह, म0का0 विनीता देवी।